

न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी

(सूचना अधिकार अधिनियम 2005)

पीठासीन अधिकारी शिवप्रसाद एम. नकाते (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 89/2021 अपील सू.प्र.

उनवान

श्री मोतीलाल सिंघानिया निवासी- जी 37, रीको 4 फेज, पुर रोड़, भीलवाड़ा। बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी, भीलवाड़ा।

—अपीलार्थी

—प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

उपस्थित :-प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधि।

निर्णय

दिनांक : 15.12.2021

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी, भीलवाड़ा के विरुद्ध दिनांक 15.11.2021 को प्राप्त होकर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अंतर्गत निर्धारित शुल्क का पोस्टल ऑर्डर संख्या 52 एफ 448218 राशि 10.00 रुपये के साथ एक आवेदन दिनांक 24.09.2021 को लोक सूचना अधिकारी एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी, भीलवाड़ा को प्रेषित किया जो लोक सूचना अधिकारी एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी, भीलवाड़ा को दिनांक 28.09.2021 को प्राप्त हुआ।

प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दिनांक 29.11.2021 को पंजीबद्ध की जाकर अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को सूचना पत्र जारी किये गये तथा प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी, भीलवाड़ा द्वारा पत्रांक 83157 दिनांक 14.12.2021 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। अपीलार्थी द्वारा चाही गयी सूचना के संबंध में प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के तथ्य इस प्रकार हैं -

1. अपीलार्थी के आवेदन-पत्र के बिन्दु संख्या 01 व 02 से चाही गयी सूचना कार्यालय लोक सूचना अधिकारी (उप जिला निर्वाचन अधिकारी) भीलवाड़ा से संबंधित ना होकर लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) भीलवाड़ा से संबंधित होने से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत कार्यालय लोक सूचना अधिकारी (उप जिला निर्वाचन अधिकारी) भीलवाड़ा के पत्रांक 82647 दिनांक 29.09.2021 द्वारा स्थानांतरित किया जाकर अपीलार्थी को सूचित किया जा चुका है।
2. अपीलार्थी के आवेदन-पत्र के बिन्दु संख्या 03 से चाही गई सूचना के संबंध में कार्यालय लोक सूचना अधिकारी (उप जिला निर्वाचन अधिकारी) भीलवाड़ा के पत्रांक 82724 दिनांक 18.10.2021 के द्वारा अपीलार्थी को सूचित किया जा चुका है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है।

आदेश आज दिनांक 15.12.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर जारी किया गया।



(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपीलेट अधिकारी
भीलवाड़ा
जिला कलक्टर
भीलवाड़ा